



## वर्षेष वविवह अधनियिम, 1954 के तहत समलैंगक वविवह

### प्रलमिस के लयि:

सरुवोच न्यायालय, वर्षेष वविवह अधनियिम, 1954, LGBTQ+ समुदाय

### मेनुस के लयि:

ट्रान्सजेंडर से संबंघति मुददे, वर्षेष वविवह अधनियिम, 1954 ।

## चरचा में क्यौं?

हाल ही में [सरुवोच न्यायालय](#) ने वर्षेष वविवह अधनियिम, 1954 के तहत समलैंगक वविवह को मान्यता देने की मांग करने वाले दो समलैंगक जोड़ों की याचकिका पर केंद्र और [भारत के महान्यावादी](#) को नोटसि जारी कयि है ।

- कई याचकिकाओं के परणामस्वरूप भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वार्ड चंदरचूड की अध्यक्षता वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने नोटसि जारी कयि ।
- समलैंगक वविवह की गैर-मान्यता प्राप्त भेदभाव के बराबर थी, जो **LGBTQ+** जोड़ों की गरमि का अपमान करती थी ।

## याचकिकाकर्त्ताओं का पकष:

- यह अधनियिम संवधान से उस सीमा तक अधिकारातीत है जसि हद तक यह **समलैंगक जोड़ों और वपिरीत लगी वाले जोड़ों के बीच भेदभाव करता है**, समलैंगक जोड़ों को कानूनी अधिकारों के साथ-साथ वविवह से मलने वाली सामाजक मान्यता और स्थतिदोनों से वंचति करता है ।
  - वर्ष 1954 का वर्षेष वविवह अधनियिम कसि भी दो व्यक्तियों के बीच वविवह पर लागू होना चाहयि, चाहे उनकी लगी पहचान और यौन अभविन्यास कुछ भी हो ।
- यद नही, तो अधनियिम को अपने वर्तमान रूप में गरमिपूरण जीवन और समानता के **मौलक अधिकारों** का उल्लंघन करने वाला घोषति कयि जाना चाहयि क्यौंकि "यह समलैंगक जोड़े के बीच वविवह करने का प्रावधान नही करता है" ।
- अधनियिम को समलैंगक जोड़ों को भी वही सुरक्षा प्रदान करनी चाहयि जो अंतर-जातीय और अंतर-धार्मक वविवह करने वाले जोड़ों को मलति है ।
- समलैंगकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने में अपर्याप्त प्रगत हुई है; LGBTQ+ व्यक्तियों के लयि समानता का वसितार जीवन के सभी कषेत्रों में होना चाहयि जसमें घर, कार्यस्थल और सार्वजनक स्थान शामिल हैं ।
  - LGBTQ+ की वर्तमान जनसंख्या देश की जनसंख्या का 7% से 8% है ।

## भारत में समलैंगक वविवह की वैधता:

- वविवह के अधिकार को भारतीय संवधान के अंतरगत मौलक या संवैधानक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नही है ।
- यदयप वविवह को वभिन्न वैधानक अधनियिमों के माध्यम से वनियमति कयि जाता है लेकिन मौलक अधिकार के रूप में इसकी मान्यता केवल भारत के सरुवोच न्यायालय के न्यायक नरिणयों के माध्यम से वकिसति हुई है । संवधान के **अनुच्छेद 141** के अंतरगत उच्चतम न्यायालय का नरिणय पूरे भारत में सभी अदालतों के लयि बाध्यकारी है ।

## सरुवोच न्यायालय के महत्त्वपूरण नरिणय:

- **मौलक अधिकार के रूप में वविवह (शफीन जहान बनाम असोकन के.एम. और अन्य, 2018):**
  - सरुवोच न्यायालय ने **मानव अधिकार की सार्वभौमक घोषणा** (UDHR) के अनुच्छेद 16 और पुट्टस्वामी मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि कसि भी व्यक्त को अपनी पसंद के अनुसार वविवह करने का अधिकार संवधान के **अनुच्छेद 21** का अभन्न अंग है ।
  - **अनुच्छेद 16 (2)** के अनुसार, राज्य के अधीन कसि भी पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लगी, उद्भव, जन्मस्थान, नविस या इसमें से कसि के आधार पर न तो कोई नागरक अपात्र होगा और न उससे वभिद कयि जायगा ।

- ववाह करने का अधकार आंतरक वषय है। इस अधकार को संवधान में मौलक अधकारों के अंतरगत सुरक्षा प्रदान की गई है। वशवास और नषठा के मामले, जसमें वशवास करना भी शामिल है, संवधानक स्वतंत्रता के मूल में हैं।
- LGBTQ समुदाय सभी संवधानक अधकारों (नवजेत सहि जोहर और अन्य बनाम केंद्र सरकार, 2018) के हकदार हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क LGBTQ समुदाय के सदस्य अन्य नागरकों की तरह संवधान द्वारा प्रदान कये गए सभी संवधानक अधकारों के हकदार हैं, जसमें "समान नागरकता" और "कानून का समान संरक्षण" भी शामिल है।

## वशेष ववाह अधनयम (SMA), 1954:

- परचय:
  - भारत में ववाह संबंधत वयक्तगत कानूनों- हदू ववाह अधनयम, 1955; मुसलम ववाह अधनयम, 1954, या वशेष ववाह अधनयम, 1954 के तहत पंजीकृत कये जा सकते हैं।
  - इसके अंतरगत यह सुनशचत करना न्यायपालका का करतव्य है क पत और पत्नी दोनों के अधकारों की रक्षा की जाए।
  - वशेष ववाह अधनयम, 1954 भारत की संसद का एक अधनयम है जसमें भारत और वदेशों में सभी भारतीय नागरकों के लये ववाह का प्रावधान है, चाहे दोनों पक्षों द्वारा कसी भी धर्म या आस्था का पालन कये जाए।
  - जब कोई वयक्त इस कानून के तहत ववाह करता है तो ववाह वयक्तगत कानूनों द्वारा नहीं बल्क वशेष ववाह अधनयम द्वारा शासत होता है।
- वशेषताएँ:
  - दो अलग-अलग धार्मक पृष्ठभूमक लोगों को शादी के बंधन में एक साथ आने की अनुमत देता है।
  - जहाँ पत या पत्नी या दोनों में से कोई हदू, बौद्ध, जैन या सखि नहीं है, वहाँ ववाह के अनुषठापन तथा पंजीकरण दोनों के लये प्रक्रया नरधारत करता है।
  - एक धर्मनरपेक्ष अधनयम होने के कारण यह वयक्तयों को ववाह की पारंपरक आवश्यकताओं से मुक्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमका नभाता है।

## आगे की राह:

- LGBTQ समुदाय के लये एक ऐसे भेदभाव-रोधी कानून की आवश्यकता है, जो उन्हें लैंगक पहचान या यौन उनमुखता के बावजूद एक बेहतर जीवन और संबंधों का नरमाण करने में सहायता करे और जो वयक्त को बदलने के स्थान पर समाज में बदलाव लाने पर ज़ोर दे।
- LGBTQ समुदाय के सदस्यों को संपूरण संवधानक अधकार दये जाने के बाद यह भी आवश्यक है क समलैंगक ववाह के इच्छुक लोगों को भी अपनी पसंद के वयक्त से ववाह करने का अधकार दये जाए। ज्ञात हो क वर्तमान में वशिव के दो दर्जन से अधिक देशों ने समलैंगक ववाह को स्वीकृत दी है।

## स्रोत: इंडयन एक्सप्रेस